

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक एफ.29(3)का.भ.नि/मो./आईसीडीएस/2017, 144518

जयपुर दिनांक: 10/8/18

मुख्य अभियंता,
सा.नि.वि. (भवन एवं पथ)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यनिधि के अंतर्गत उपनिदेशक एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय निर्माण में राशि के उपयोग के लिए आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने की प्रशासनिक स्वीकृति बाबत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्यनिधि मद के अंतर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के भवन निर्माण हेतु गत वर्ष जारी कार्यों को पूर्ण करवाने हेतु एवं गत वर्ष में करवाये गये भवन निर्माण कार्यों की बकाया दायित्वों की राशि के उपयोग के लिए मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. (भवन एवं पथ) को राशि 218.51 लाख (अक्षरे राशि रु. दो करोड अठारह लाख इक्यावन हजार मात्र) के व्यय हेतु निम्न लेखाशीर्ष अंतर्गत आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

बजट मद -

- 4236- पोषण पर पूँजीगत परिव्यय।
- 02- पोषक योजना तथा सुपेय का वितरण।
- 800- अन्य व्यय।
- (03)- भवन निर्माण (आयोजना)
- 00-
- 17- वृहद निर्माण कार्य (राज्य निधि)


उक्त व्यय निम्नलिखित कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत नवीन कार्यों का विवरण :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राशि लाखों में
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी, नोहर (हनुमानगढ) का कार्यालय भवन निर्माण	62.87
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोगुन्दा (उदयपुर) का कार्यालय भवन निर्माण	50.00
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऋषभदेव (उदयपुर) का कार्यालय भवन निर्माण	50.00
4	बाल विकास परियोजना अधिकारी, भीम (राजसमन्द) का कार्यालय भवन निर्माण	50.00
5	बाल विकास परियोजना अधिकारी, ब्यावर शहर (अजमेर) की चार दिवारी निर्माण	05.64
	कुल योग	218.51


कुल राशि रुपये 218.51 लाख के वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु राशि रु (अक्षरे राशि रु. दो करोड अठारह लाख इक्यावन हजार मात्र) ।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 101804300 दिनांक 26.07.2018 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। इस राशि के उपयोग हेतु RTPPA की पालना किया जाना सुनिश्चित करावे।


प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ.29(3)का.भ.नि/मो./आईसीडीएस/2015 144519-540 जयपुर दिनांक: 10/8/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), लेखा परीक्षा-प्रथम, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, मुख्यालय, राज. जयपुर।
6. निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
7. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि मुख्य अभियंता सा.ना.वि. (भवन एवं पथ) जयपुर को उक्त वर्णित राशि की सीमा तक आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने का श्रम करावे।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, राज. जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
10. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भीलवाडा/राजसमन्द/हनुमानगढ/उदयपुर ।
11. बाल विकास परियोजना अधिकारी, नोहर/गोगुन्दा/ऋषभदेव/भीम/ब्यावर ।
12. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) राज. जयपुर।
- ✓ 13. ए.सी.पी. मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।


प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान जयपुर